● Publishing Date : January 31, 2018 ● Total Number of Pages : Twenty
● Posting at Lucknow on 5th, 6th, 7th and 8th of every month
RNI Regn. No. : UPHIN/2004/13685

पत्रिका
कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश
(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987–88)
वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ – 226 004
फोन : 0522–2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522–2242486
E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org
श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/– रु0 31 जनवरी, 2018 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री वीरेन्द्र सिंह, श्री मोहित अग्रवाल वर्ष : 14, अंक : 8

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

यह वर्ष बहुत ही उथल पुथल का वर्ष रहा है, इसमें भण्डारणकर्ताओं व शीतगृहस्वामियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा हैं। वर्ष के शुरू से लेकर आखिर तक आलू के बाजार भाव बढ़ने का नाम नहीं लिए, इसलिए सारी ढुलाई का भण्डारण प्रभार का खर्च भण्डारणकर्ता को ही झेलना पड़ा। यहाँ तक हुआ कि हजारों बोरों के स्वामी जो विभिन्न किसान होते हैं शीतगृहों से आलू छुड़ाने भी नहीं आए। इस तरह शीतगृहस्वामियों का भाड़ा व उस पर दिया हुआ लोन दोनों डूब गए। ऐसे आलूओं को फिकवाने की समस्या और उठ खड़ी हुई।

अब हमें नए वर्ष की ओर आपके बदलते हुए दृष्टिकोण से सारी चीजों को देखना पड़ेगा और इस तरह कार्य करना होगा जिससे इन समस्याओं से आसानी से निपटा जा सके। हमारी राय है कि सर्वप्रथम बहुत छोटे आलू को हम लोन देने वाली श्रेणी में ना रखें। ऐसे आलू को किररी या दाना आलू भी कहाँ जाता है। इस पर दिया हुआ लोन प्रायः परेशानी पैदा करता है। वैसे तो आलू पर लोन देना ही खतरे से खाली नहीं होता परन्तु कुछ समय इसे रोक पाना भी सम्भव नहीं होता क्योंकि

→

शीतगृहस्वामियों के भण्डारणकताओं से बहुत पुराने सम्बन्ध बन चुके होते है और अगर कुछ को यह सुविधा दी जाती है तो काफी लोगो को संतुष्ट करना पड़ता है, वैसे फिर भी शीतगृहस्वामियों को यह सलाह दी जाती है कि लोन से बचे और छोटे दाने वाले आलू पर तो बिलकुल ही लोन ना दें।

इस वर्ष अभी तक आलू की फसल पर प्रकृति की कृपा है। सब तरफ से अच्छे उत्पादन की रिर्पोट आ रही है। ऐसे ही और बीस दिन चलते रहे तो उत्तर प्रदेश में आलू का फिर रिकॉर्ड उत्पादन होने की आशा है क्योंकि मौसम के अच्छा होने के साथ–साथ आलू की बुआई भी पूरी तरह हुई है। शीतगृहों के पूरे भर जाने की पूरी आशा है। शीतगृहों से भण्डारित आलू कैसे निकले इस समस्या पर अभी से विचार करना जरूरी है। सरकार भी इस बिन्दु पर विचार कर रही है। देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है।

अब तक प्राप्त समाचारो के अनुसार इस वर्ष आलू की बुआई पिछले वर्ष की तुलना मे किसी भी प्रकार से कम नही हुई है और मौसम अनुकूल होने की वजह से फसल भी अच्छी होने की सम्भवना है। किसी भी प्रकार के रोग की कोई सूचना नही है फिर भी अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा जिस से सही आंकलन किया जा सके।

आलू बुकिंग के सम्बन्ध में :

वर्ष 1998 में सरकार ने कोल्ड स्टोरेज में आलू बुकिंग के सम्बन्ध में आदेश पारित किया था वह बराबर चला आ रहा है। अतः इस वर्ष भी हमें इस आदेश के अनुसार ही बुकिंग करनी है।

वैसे तो यह आदेश हम कई बार पत्रिका में दे चुके है परन्तु फिर भी सब की जानकारी के लिए इसे हम पुनः प्रकाशित कर रहे है।

संख्या–3532/अठ्ठावन–1–98–100 (28)/96

प्रेषक,

श्री अरविन्द मोहन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण (मै.क्षे.)
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

→

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 16, अक्टूबर, 1998

विषय : उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 की धारा–44 के अधीन जारी निर्देश

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 (यथासंशोधित) की धारा 44 के अधीन शीतगृहों में भण्डारण नये कोल्ड स्टोरेज का निर्माण की अनुज्ञा एवं लाइसेन्स समयावधि तथा लाइसेन्स के नवीनीकरण आदि हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाये जाने का निर्णय लिया गया है :–

भण्डारण हेतु उपलब्ध क्षमता का उपयोग

1. प्रदेश के समस्त शीतगृहों में प्रत्येक वर्ष की 5 जनवरी से खिड़की और बुकिंग प्रक्रिया लाइसेन्सधारी द्वारा प्रारम्भ की जायेगी और कुल भण्डारण क्षमता का 85 प्रतिशत बुकिंग होने की अवधि तक अथवा फरवरी माह की 14 तारीख तक जो पहले हो, बुकिंग चालू रखी जायेगी।

(1) कोल्ड स्टोरेज अधिनियम की धारा–14(1) के अन्तर्गत 10 प्रतिशत क्षमता का उपयोग अधिकृत अधिकारी द्वारा 28 फरवरी तक दिये गये निर्देशों के अनुपालन में इस प्रतिबन्ध के साथ कि 15 मार्च के अन्दर ही दिये गये निर्देश मान्य होंगे, किया जायेगा इसके पश्चात् अवशेष भण्डारण क्षमता उपयोग लाइसेन्सधारी स्वविवेक और अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत रहते हुए करेगा।

(2) शेष 15 प्रतिशत क्षमता का उपयोग लाइसेन्सधारी द्वारा नियमावली के नियम–3(18) के अनुसार किया जा सकेगा।

बुकिंग हेतु पर्ची / स्लिप का निर्गमन

2. (क) इच्छुक भण्डारणकर्ता यदि आलू उत्पादक कृषक है तो उसे सम्बन्धित ग्राम प्रधान / बी.डी.सी. सदस्य / जिला पंचायत सदस्य / ब्लाक प्रमुख / नगर पंचायत सदस्य / अध्यक्ष लेखपाल या ग्राम विकास अधिकारी से गाँव का कास्तकार होने के सम्बन्ध में केवल एक पर्ची (स्लिप) प्राप्त की जायेगी जिसमें उसका नाम, पिता का नाम, ग्राम व पोस्ट, जनपद का नाम, कुल बोये आलू का क्षेत्रफल, कुल उत्पादित →

आलू की मात्रा बोरो/कुन्टल में तथा भण्डारित होने वाले आलू की मात्रा कुन्टल/बोरो में प्रमाणित की जायेगी। इस क्षेणी के भण्डारणकर्ताओं हेतु शीतगृह की कुल क्षमता की 75 प्रतिशत क्षमता नियत होगी।

(ख) इच्छुक भण्डारणकर्ता यदि कृषक नहीं है तो उसे आलू को भण्डारित कराने के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत पर्ची में उसका नाम, पिता का नाम, स्थायी पता तथा व्यवसाय, जिलाधिकारी/परगनाधिकारी/जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं आलू भण्डारित करने का उद्देश्य अंकित करना होगा। ऐसे भण्डारणकर्ताओं का आलू कोल्ड स्टोरेज की भण्डारण क्षमता के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और इस बुकिंग का रिकार्ड कृषकों की रिकार्ड पंजिका से पृथक पंजिका पर की जायेगी।

(ग) यदि क व ख में निर्धारित क्षमता की बुकिंग 14 फरवरी तक न हो तो लाइसेन्सधारी लाइसेन्स अधिकारी को पूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए शेष क्षमता का उपयोग स्वविवेक से कर सकता है।

बुकिंग की खिड़की

3. बुकिंग हेतु प्रत्येक लाइसेन्सधारी प्रत्येक कार्य दिवस को प्रातः 10 बजे से सायंकाल 5.00 बजे तक खिड़की पर बुकिंग हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों को व अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

बुकिंग की जमानत राशि

4. इच्छुक भण्डारणकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार और स्थान में उपलब्धता के परिपेक्ष्य में जितने कुन्टल भण्डारण के लिए बुकिंग की जायेगी उसके सापेक्ष 10.00 रु. (मात्र दस रुपये) प्रति कुन्टल की दर से जमानत की राशि भी देनी होगी परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि 200 बोरों के लिए जमानत की अधिकतम धनराशि रुपया 1500.00 (रुपया पन्द्रह सौ मात्र) तथा इसके ऊपर बोरी के लिए रु. 4000.00 (रुपये चार हजार मात्र) से अधिक नहीं ली जायेगी। बुकिंग पर्ची पर इच्छुक भण्डारणकर्ता को आलू भण्डारण हेतु तिथि तथा उससे ली गयी जमानत की धनराशि को अंकों एवं शब्दों में अंकित किया जायेगा एवं उसकी उचित रसीद भी दी जायेगीा। →

जमानत की धनराशि का समायोजन

5. इच्छुक भण्डारणकर्ता से ली गयी जमानत राशि का उसके द्वारा भण्डारित माल की निकासी के समय समायोजन कर दिया जायेगा।

भण्डारण न करने की दशा में जमानत की धनराशि का जब्त किया जाना

6. यदि कोई इच्छुक भण्डारणकर्ता अपनी बुकिंग के सापेक्ष माल भण्डारित नियत तिथि को नहीं कराता है तो उसके द्वारा दी गयी जमानत की धनराशि लाइसेन्सधारी द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

बुकिंग एवं समीक्षा

7. प्रत्येक लाइसेन्सधारी शीतगृहों पर की गयी बुकिंग की नियमानुसार पता व नाम की सूची जनपदीय उद्यान कार्यालयों को साप्ताहिक रूप से उपलब्ध करायेगा और सम्बन्धित जनपदीय कार्यालय के अधिकारी सप्ताह में कम से कम एक बार मौके पर जाकर समीक्षा करेंगे, तथा कारण बताओ नोटिस देने के पश्चात् अनियमित रूप से की गयी बुकिंग को निरस्त कर सकेंगे प्रतिबन्ध यह है कि निरस्त करने की प्रक्रिया भण्डारण के पश्चात प्रभावी नहीं होगा।

भण्डारण रसीद का तौल सहित निर्गमन

8. लाइसेन्सधारी भण्डारणकर्ता को अधिनियम की धारा–32 के अन्तर्गत पूर्ण पतायुक्त रसीद भण्डारण होने के तुरन्त बाद निर्गत करेगा जिसमें तौल और किराये का पूर्ण विवरण भी अंकित किया जायेगा। इस हेतु समस्त भण्डारणकर्ता का भी दायित्व है कि वह 2 (क) व (ख) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पता आदि का प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दें।

बीमा

9. अधिनियम की धारा–23 में प्रत्येक लाइसेन्सधारी से अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये कृषि उत्पाद का आग, टूट–फूट (चाहे व यांत्रिक या अन्य प्रकार का हो) या ऐसे ही अन्य कारण से होने वाला हानि या क्षति के लिए बीमा का प्राविधान है इन्हीं प्राविधानों के अनुरूप बीमा समय से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 के अध्याय–8 में वर्णित कार्यवाही से पूर्व संदर्भित प्रकरणों पर लाइसेन्सधारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्धारित समय सीमा के अन्दर अवसर देंगे तथा परीक्षण के पश्चात् संतुष्ट होने पर नियमानुसार इस अध्याय के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे। →

नये कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की अनुज्ञा एवं लाइसेन्स हेतु समयावधि

10. उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम 1976 के धारा–9 के अनुसार कोल्ड स्टोरेज निर्माण की अनुज्ञा अथवा नव निर्मित शीतगृहों का लासेन्स अधिनियम की धारा–6 के अन्तर्गत लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति, नियमावली व लाइसेन्स अधिकारी द्वारा निर्धारित आवेदन पत्रों एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करके आवेदन पत्र उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ.प्र. के जनपदीय अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे और जनपदीय अधिकारी ऐसे आवेदन पत्रों के प्राप्त होने पर प्राप्ति स्वीकार करने विषयक रसीद सम्बन्धित आवेदनकर्ता को देंगे जिस पर कार्यालय की मुद्रा और तिथि अंकित होगी, साथ ही प्राप्त संलग्नकों का भी विवरण अंकित होगा।

जनपदीय उद्यान अधिकारी अपने स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करके आवेदन पत्र अपने मण्डलीय अधिकारी को प्राप्ति तिथि से 10 दिनों के भीतर अग्रसरित कर देंगे और मण्डलीय उद्यान अधिकारी के स्तर की कार्यवाही अधिकतम 5 दिनों में पूर्ण कर प्रकरण को निदेशक एवं लाइसेन्सिंग अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ.प्र. को अग्रसरित कर दिया जायेगा और निदेशक/लाइसेन्ससिंग अधिकारी द्वारा अनुज्ञा/लाइसेन्स 10 दिनों की अवधि में निर्गत किया जायेगा।

कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स के नवीनीकरण हेतु समयावधि

11. उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज लाइसेन्स देना नियमावली 1976 द्वारा निर्धारित नियमों का अनुसरण करते हुए और लाइसेन्सिंग अधिकारी (कोल्ड स्टोरेज) एवं निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ.प्र. द्वारा समय–समय पर निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए निर्धारित नवीनीकरण के प्रार्थना पत्र जनपदीय उद्यान अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे। और जनपदीय द्वारा उपरोक्त बिन्दु 10 की भाँति प्राप्त रसीद दी जायेगी और समस्त कार्यवाही पूर्ण कर प्रकरण को सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं लाइसेन्सिंग अधिकारी कोल्ड स्टोरेज के समक्ष अधिकतम एक सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत किया जायेगा और जिलाधिकारी/लाइसेन्सिंग अधिकारी कोल्ड स्टोरेज द्वारा

→

नवीनीकरण की पत्रावलियों का निस्तारण अधिकतम 5 दिनों में किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि कोल्ड स्टोरेज के लाइसेन्स को सामान्य नवीनीकरण की कार्यवाही पिछले वर्ष के नवम्बर माह के प्रथम पक्ष तक प्रत्येक दशा में सम्पादित करा दी जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जनपदीय उद्यान कार्यालय द्वारा समस्त लाइसेन्सधारियों को ट्रेजरी चालान प्रपत्र जिला उद्यान अधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य नहीं है और न ही इस हेतु लाइसेन्सधारी को बाध्य किया जाये।

(2) कृपया उपर्युक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थों को भी अवगत करा दें।

भवदीय

ह0/–

(अरविन्द मोहन)

सचिव

संख्या–3532(1)/अठ्ठावन–1–98–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।
5. गार्ड फाइल।

भवदीय

ह0/–

(मुहम्मद सालिम उस्मानी)

उप सचिव

→

निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ.प्र.

2–सप्रू मार्ग, लखनऊ

पत्रांक–आलू 1514 दिनांक लखनऊ 01 दिसम्बर 1998

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन के उपर्युक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाय तथा जनपद में इनका व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित कराया जाय जिससे आलू भण्डारणकर्ताओं को बुकिंग आदि कराने में कठिनाई न हो।

1. संयुक्त निदेशक उद्यान, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र सहारनपुर/बस्ती।
2. समस्त उप निदेशक उद्यान (मै.क्षे.) उत्तर प्रदेश।
3. समस्त आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश (मै.क्षे.)।
5. समस्त अधीक्षक राजकीय उद्यान उत्तर प्रदेश (मै.क्षे.)।

ह0/–

(एस.पी. त्रिपाठी)

अपर निदेशक

प्रदेश सरकार द्वारा आलू के सम्बन्ध में विचार :

आलू किसानों का होगा पंजीकरण :

आलू किसानों के हित के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब उद्यान विभाग के जरिये आलू किसानों का पंजीकरण किया जाएगा और सभी प्रकार के लाभ सीधे किसानों के खाते में दिये जायेंगे। दूसरे राज्यों में आलू मूल्य का तुलनात्मक अध्ययन कर लाभकारी मूल्य निर्धारित किये जाने के लिए प्रस्ताव बनाने की जिम्मेदारी अफसरों को सौंप दी गई है।

गुरुवार को केशव कमेटी ने यह फैसला किया। प्रदेश में आलू किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। कमेटी →

में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, वन मंत्री दारा सिंह चौहान और वित्ती मंत्री राजेश अग्रवाल भी शामिल हैं। विधान भवन में गुरुवार को हुई पहली बैठक में केशव के साथ दारा सिंह चौहान और राजेश अग्रवाल के अलावा विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।

मौर्य ने कहा कि केन्द्र तथा प्रदेश सरकार किसानों की सभी प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए संकल्पित है। सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा तथा जो योजनाएँ वर्तमान में अनुपयोगी हैं उन पर विचार करते हुए प्रभावी और लाभकारी योजनाएँ शुरू होंगी। अफसरों को हिदायत दी है कि शीतगृहों में आलू भण्डारण के समय किसी प्रकार की समस्या न हो और अनावश्यक लाइन न लगे। सभी जिलाधिकारियों को इसके लिए अलग से निर्देश जारी होगा।

निर्यात प्रोत्साहन के विकल्प पर नजर : माँग और आपूर्ति के सापेक्ष क्या–क्या विकल्प हो सकते हैं, इस पर मंथन शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री ने इसके साथ–साथ निर्यात प्रोत्साहन के विकल्प पर भी ध्यान देने को कहा है। यदि जरूरी हुआ तो मंडी शुल्क समाप्त करने पर भी विचार होगा। मौर्य ने बताया कि इस वर्ष दो लाख टन आलू खरीद प्रस्तावित है। सात एजेन्सियाँ तय की गई हैं। आलू खरीदने वाली एजेन्सियों को एक प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दिये जाने तथा मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों में आलू उपयोग पर भी विचार किया गया। मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण नीति में आलू के उपयोग से जुड़े समस्त विकल्पों पर विचार करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।

यह समाचार हमे श्री त्रिलोचन सिंह सलूजा, रीजनल कोआर्डिनेटर, पूर्वी उ.प्र. कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, सलूजा कोल्ड स्टोरेज, जी.टी, रोड, चौबेपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश मोबाइल नं : 9936426555, ई–मेल : trilochansaluja@hotmail.com ने भेजी है।

आलू के सम्बन्ध में वर्ष 2018 के लिए होने वाली मीटिंगों के बारे में :

आलू भण्डारण सत्र 2018 फरवरी माह से शुरू हो जाता है। अतः शीतगृहस्वामी अपने–अपने क्षेत्रों में इस सत्र के बारे में जानकारी देने के लिए मीटिंग कर रहे है। यह बहुत ही अच्छी बात है। इससे संगठन में मजबूती आती है। इस सम्बन्ध में हमें नीचे दी हुई एसोसिएशन ने सूचित किया है। वह हम प्रकाशित कर रहे हैं।

→

अलीगढ़ के श्री गिर्राज कुमार माहेश्वरी, रीजनल कोआर्डिनेटर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, हाथरस कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन व अलीगढ़ कोल्ड स्टोरेज आनॅर्स एसोसियेशन ने मिल कर उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अन्दर शिवांग कोल्ड स्टोरेज, सासनी मे एक काफी बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जिसे करीब 300 शीतगृहस्वामियों ने attend किया। यह दिनांक 21 जनवरी, 2018 को आयोजित की गई और इस मे शीतगृह सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर चार्च हुई इसमें उपस्थित होने वाले पदाधिकारियो मे मुख्य रूप से निम्न सदस्य उपस्थित थे :–

- ❑ श्री राजेश गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन
- ❑ श्री मोहित अग्रवाल, सचिव, पश्चिम उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन
- ❑ श्री गिर्राज गोदानी, समन्यवक, उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन
- ❑ श्री रविकांत अग्रवाल, अध्यक्ष, हाथरस कोल्ड स्टारेज ओनर्स एसोसिएशन
- ❑ श्री महावीर तिवारी सचिव, हाथरस कोल्ड स्टारेज ओनर्स एसोसिएशन
- ❑ श्री अतुल अग्रवाल, महामंत्री, अलीगढ़ कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन
- ❑ श्री मनोज कुमार अग्रवाल, समन्वयक, अलीगढ़ कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन

मीटिंग का दृश्य

बदायूँ में होने वाली मीटिंग के सम्बन्ध में :–

7 जनवरी, 2018 को सम्भल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ने एक मीटिंग चंदौसी में करी जिसमें बदायूँ और अलीगढ़ के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया, करीब 110 सदस्य उपस्थित रहे। इस मीटिंग के कुछ दृश्य यहाँ उपस्थित कर रहे है।

(11) – पत्रिका कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, जनवरी, 2018

प्रदूषण वा अग्निशमन के अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में :–

शीतगृहों को उपरोक्त दोनो विषयों पर अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इस सम्बन्ध में हमारे प्रत्यन जारी है। हम माननीय दारा सिंह चौहान मत्री उद्यान, से भी इस सम्बन्ध में बात कर रहें है देखिए क्या नतीजा निकलता है। जैसे भी होगा हम अपने सदस्यों को सूचित करेंगे। जो पत्र माननीय मंत्री जी को दिया जा रहा है उसे हम यहाँ प्रकाशित कर रहे है।

418 / सीं.एस.ए.27 / 5 / 2017 दिनाक 23.1.2018

माननीय दारा सिंह चौहान,
कैबिनट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार,
वन, पर्यावरण, प्राणी उद्यान व उद्यान
सचिवालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश

मान्यवर,

विषय : शीतगृहों के लिए प्रदूषण बोर्ड से अनापत्ति (consent) प्रमाण पत्र व शीतगृहों के लिए अग्निशमन प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में

अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में आपके संज्ञान में लाना है कि शीतगृहों को दो विभागों से हर वर्ष अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना है, परन्तु दोनों विभाग शीतगृहों को अत्यधिक परेशान कर रहे है :–

1. प्रदूषण बोर्ड से अनापत्ति (consent) प्रमाण पत्र

शीतगृह प्रदूषण फैलाने वाले उघोगो में नहीं आते। किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। फिर भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है।

वर्ष 2010 मे शीतगृहो का एक प्रदूषण बोर्ड से समझौता हुआ था जिसमें यह माना गया था कि जल प्रदूषण का प्रदूषण चार्ज देना पड़ेगा और वह भी इस प्रकार से हैं :–

भण्डारण क्षमता 50000 कुन्तल प्रति वर्ष तक	रू 1500 / – प्रतिवर्ष
भण्डारण क्षमता 50001 से 100000 कुन्तल प्रति वर्ष तक	रू 3000 / – प्रतिवर्ष
भण्डारण क्षमता 100000 कुन्तल प्रति वर्ष से अधिक	रू 4500 / – प्रतिवर्ष

शीतगृहों पर वायु प्रदूषण पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।

1. अब 7 साल बाद प्रदूषण बोर्ड इस समझौते को नहीं मान रहा है और कह रहा है कि शीतगृहों को वायु प्रदूषण का चार्ज देना पड़ेगा और जल प्रदूषण चार्ज का भी यह फार्मूला नहीं लगेगा। इस प्रकार शीतगृह पूरी तरह उलझन में फस गए है। →

2. **<u>अग्नि शमन प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में :</u>** शीतगृहो को अग्नि शमन का प्रमाण पत्र देना भी आवश्यक कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में हम यहाँ आपके संज्ञान में लाना चाहते है कि शीतगृहों के लिए अग्नि शमन के कोई भी मापदण्ड नहीं बने हैं, इसलिए शीतगृह नहीं जानते की वह किन नियमों का पालन करें। मापदण्डों के अभाव में शीतगृहों पर बहुखण्डीय इमारतों के मापदण्ड थोप दिए जाते हैं जबकि शीतगृह एकलखण्डीय होते हैं और उनकी ऊँचाई भी प्रायः 15 मीटर से नीची होती हैं। ऐसी दशा मे उनके लिए अलग मापदण्ड बनना अति आवश्यक है।

यह और भी जरूरी हो जाता है क्योकि अधिकांश शीतगृह काफी पहले के बने है जब अग्नि शमन का कोई कानून था ही नही। अतः नए कानून की व्यवस्था को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि जिसमें पुराने बने हुए शीतगृहों की समस्याओं का भी समाधान हो सके।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर शीतगृहों को राहत प्रदान करें। हम आशा करते है कि आपके सफल नेतृत्व में शीतगृहों को अवश्य राहत मिलेगी और शीतगृहों पर किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं हो पायेगा।

सधन्यवाद

कृते **कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश**

(महेन्द्र स्वरूप)

अध्यक्ष

विक्रय हेतु

चालू हालत में

- **एक के.सी. 4 कम्प्रेशर**
- **दो जनरेटर किर्लोस्कर 160 के.वी.ए.**
- **एक कैनोपी**

:: सम्पर्क ::

आकाशदीप कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि.

चकरपुर भौती, कानपुर (उत्तर प्रदेश)

मोबाइल : 9415052053, 9795900044

श्री अतुल अग्रवाल को बधाई :

श्री गिर्राज कुमार माहेश्वरी, रीजनल कोआर्डिनेटर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, इग्लास, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश ने हमें सूचित किया है कि अलीगढ़ कोल्ड स्टोरेज ओनर्स एसोसिएशन के सचिव, श्री अतुल अग्रवाल को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य नाथ महाराज द्वारा उद्यमिता विकास के लिये सम्मानित किया गया है, यह अलीगढ़ व अलीगढ़ कोल्ड एसोसिएशन के लिये बहुत गौरवमयी बात है।

सेवा में,

Postal Registration No. : SSP/LW/NP-65/2017-2019

.....

.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित